

पटना विश्वविद्यालय

पटना विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद् की बैठक दिनांक 31.01.2019 को 03.30 बजे अपराह्न में विद्वत परिषद् हॉल में कुलपति की अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. डा. रास बिहारी प्रसाद सिंह, कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना
2. डा. शंकर आशीष दत्त, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, पटना विश्वविद्यालय
3. डा. अशोक कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय, पटना विश्वविद्यालय
4. डा. सत्यनारायण मेहता, विभागाध्यक्ष, मैथिली विभाग, पटना विश्वविद्यालय
5. डा. राज लक्ष्मी, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय
6. डा. रामाशंकर आर्या, संकायाध्यक्ष, मानविकी संकाय, पटना विश्वविद्यालय
7. डा. रमेश शुक्ला, विभागाध्यक्ष, भुगर्भ विभाग, पटना विश्वविद्यालय
8. डा. विवेकानंद मिश्रा, विभागाध्यक्ष, वायोकेमेस्ट्री विभाग, पटना विश्वविद्यालय
9. प्रो. एस. सी. मिश्रा, विभागाध्यक्ष, भौतिकी विभाग, पटना विश्वविद्यालय
10. डा. पूनम सिंह, विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय
11. डा. सिस्टर एम. रश्मि, प्रधानाचार्या, पटना वीमेंस कॉलेज
12. डा. एम.पी. त्रिवेदी, प्रभारी विभागाध्यक्ष, वनस्पति विभाग, पटना विश्वविद्यालय
13. डा. डी.एन.ठाकुर, विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय
14. डा. खगेन्द्र कुमार, विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, पटना विश्वविद्यालय
15. डा. सुधा मिश्रा, विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, पटना विश्वविद्यालय
16. डा. सुफिया नसरीन, विभागाध्यक्ष, परसियन विभाग, पटना विश्वविद्यालय
17. डा. नवीन कुमार, विभागाध्यक्ष, भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग
18. डा. जावेद हयात, विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग, पटना विश्वविद्यालय
19. डा. सरबर आलम, विभागाध्यक्ष, अरबी विभाग, पटना विश्वविद्यालय
20. डा. अजय कुमार पांडेय, प्रधानाचार्य, कला एवं शिल्प महाविद्यालय
21. डा. शिव सागर प्रसाद, मनोविज्ञान विभाग, पटना विश्वविद्यालय
22. डा. हरिद्वार शुक्ला, विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, पटना विश्वविद्यालय
23. डा. पशुपति नाथ, विभागाध्यक्ष, जन्तु विज्ञान विभाग, पटना विश्वविद्यालय
24. डा. सलीम जावेद, विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, पटना विश्वविद्यालय
25. डा. मोहम्मद शरीफ, प्रधानाचार्य, पटना विधि महाविद्यालय
26. डा. आशुतोष कुमार, संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, पटना विश्वविद्यालय
27. डा. ललित कुमार, प्रधानाचार्य, पटना ट्रेनिंग कॉलेज, पटना
28. डा. पूनम कुमारी, विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, पटना विश्वविद्यालय
29. डा. अंजु श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान विभाग, पटना विश्वविद्यालय
30. डा. के. सी. सिन्हा, विभागाध्यक्ष, गणित विभाग, पटना विश्वविद्यालय
31. डा. श्रीकांत सिंह, विभागाध्यक्ष, सांख्यिकी विभाग, पटना विश्वविद्यालय
32. डा. शारदेन्दू कुमार, विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, पटना विश्वविद्यालय
33. डा. विजय कुमार, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय
34. डा. बीरेन्द्र प्रसाद, वनस्पति विभाग, पटना विश्वविद्यालय
35. डा. एन.के. झा, संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण, पटना विश्वविद्यालय
36. डा. सुनीता राय, विभागाध्यक्ष, पी.एम.आई.आर. विभाग, पटना विश्वविद्यालय

डा. रास बिहारी
प्रसाद
31.01.2019

31/1/19

37. डा. उषा वर्मा, विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, पटना विश्वविद्यालय
38. डा. राज किशोर प्रसाद, प्रधानाचार्य, बी.एन.कॉलेज
39. डा. पी.के.पोद्दार, प्रधानाचार्य, पटना कॉलेज
40. डा. डैजी बनर्जी, विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय
41. कर्नल मनोज मिश्रा, कुलसचिव, पटना विश्वविद्यालय, पटना

सर्वप्रथम कुलपति महोदय द्वारा सदस्यों का स्वागत किया गया। इसी के साथ परिषद् की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

प्रस्ताव 1. विद्वत परिषद् की बैठक दिनांक 05.11.2018 के कार्यवृत्त की संपुष्टि

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विद्वत परिषद् की बैठक दिनांक 05.11.2018 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की जाय।

प्रस्ताव 2. विद्वत परिषद् की बैठक दिनांक 16.08.2018 में लिए गए संकल्पानुसार रेफरिड जर्नल सूची के अनुमोदन पर विचार।


निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि (क) विभागाध्यक्ष, पी.एम.आई.आर. विभाग के पत्रांक 109 दिनांक 11.10.2018 (ख) विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग के पत्रांक 077 दिनांक 22.09.2018 (ग) विभागाध्यक्ष, रसायन विभाग के पत्रांक 425 दिनांक 29.08.2018 एवं (घ) विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग के पत्रांक 14 दिनांक 29.01.2019 द्वारा भेजा गया रेफरिड जर्नल सूची को अनुमोदित किया जाय।

प्रस्ताव 3. सी.बी.सी.एस. के अंतर्गत सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में AECC-I, AECC-2, DSE, SEC, DSE, GE परीक्षा संबंधी विद्वत परिषद् की बैठक दिनांक 13.10.2018 में लिए गए संकल्प पर पुनर्विचार।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त संकल्प को निम्नवत संशोधित किया जाय:-

The End Semester Examination (ESE) for AECC-I is of 50 marks only. However, there is no separate provision mentioned in the Regulations. Hence,

- (i) The ESE for AECC-I will be of three hour duration as is mentioned in the Regulations of CBCS
- (ii) The question pattern will be
 - a. Multiple Choice questions – 3 each of one mark i.e. 30 marks.
 - b. One long Essay to be written in minimum of 1000 words from a set of options of 5 topics – of 20 marks


३१/११

प्रस्ताव 4. L.L.B. पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु अधिकतम उम्रसीमा, जो उक्त पाठ्यक्रम के Ordinance & Regulations में उल्लिखित है, पर BCI तथा माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय पटना उच्च न्यायालय के अधतन आदेशों के आलोक में पुनर्विचार।
निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्लू. जे.सी. 15316 / 2018 रूपेश कुमार बनाम् बिहार सरकार द्वारा प्रधान सचिव व अन्य के मामले में पारित आदेश दिनांक 12.12.2018 का अनुपालन करते हुए एल.एल.बी के नामांकन अध्यादेश में निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा समाप्त की जाय।

प्रस्ताव 5. CWJC no. 21095 of 2018 Dr Smita Tiwary Ojha Vs The Hon'ble Chancellor, Universities of Bihar के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.12.2018 के आलोक में, UGC Regulations 2016 के आलोक में पटना विश्वविद्यालय के Ph.D. डिग्री धारको को Supporting Certificate निर्गत करने के system पर विचार।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC no. 21095 of 2018 Dr Smita Tiwary Ojha Vs The Hon'ble Chancellor, Universities of Bihar के मामले में दिनांक 03.12.2018 को पारित आदेश का अनुपालन करते हुए UGC Regulations 2016 के आलोक में Supporting Certificate निर्गत करने हेतु विहित प्रपत्र में पी.-एच.डी. शोधार्थियों के पर्यवेक्षक के अग्रसारण की वाध्यता को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त की जाय— क, यदि वे विदेश में हों, ख. यदि वे गंभीर रूप से बीमार हों, ग. यदि उनकी मृत्यु हो गयी हों, घ. यदि वे न्यायिक हिरासत / कारावास में हों।

प्रस्ताव 6. प्रधानाचार्य, बी0 एन0 कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय के पत्रांक PL-560/18 दिनांक 15.12.2018 के द्वारा बी0 एन0 कॉलेज में Bachelor in Mass Communication पाठ्यक्रम आरंभ करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।


निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रधानाचार्य ने कोई concept note नहीं दिया है, infrastructure की जानकारी नहीं दी है, संबंधित कागजात संलग्न नहीं किया है इसलिए इस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। उक्त कागजात प्राप्त होने पर इस पर विचार किया जायेगा।

प्रस्ताव 7. पटना विश्वविद्यालय तथा **GUIZHOU University** के बीच General Cooperative Agreement पर विचार।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।

अन्यान्य

प्रस्ताव 1. वाणिज्य महाविद्यालय में चल रहे Certificate Course in Computerised Accounting पाठ्यक्रम को Add-on Course के रूप में परिवर्तित करने संबंधी प्रधानाचार्य के पत्रांक 477 दिनांक 14.12.2018 पर विचार।


४५१९

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वीकृति हेतु भेजा जाय। *शुन्य नामों में भेजा जाय।*

प्रस्ताव 2. डा. ए. एल. चक्रवर्ती, संयोजक, काउंसलिंग, ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल, पटना विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पटना विश्वविद्यालय एवं मेधा लर्निंग फाउण्डेशन (Medha Learning Foundation) के बीच Memorandum of Understanding (MOU) के प्रारूप पर विचार

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाय।

प्रस्ताव 3. राज्यपाल सचिवालय, बिहार के पत्रांक बी.एस.यू.(स्टैच्यूट)-28/2018-232/रा.स. दिनांक 23.01.2019 द्वारा प्रस्तावित राज्यान्तर्गत विश्वविद्यालयों के कार्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों, संस्थानों एवं छात्रावास अधीक्षक / वार्डन आदि के सेवाशर्तों आदि के निर्धारण हेतु परिनियम प्रारूप तैयार करने के संबंध में।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित अनुशंसाओं के साथ इस परिनियम को अनुमोदित किया जाय:-

क. छात्रावास अधीक्षक को ₹3000/-, वार्डन को ₹3001/- तथा सहायक अधीक्षक को ₹1500/- मानदेय निर्धारित किए जायें। साथ ही इन पदों पर नियुक्त होने वाले शिक्षक इसे अस्वीकार नहीं कर सकेंगे।

प्रस्ताव 4. विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए विषय विशेषज्ञों के नाम के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विभागाध्यक्ष, व्यवहारिक अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य विभाग के पत्र सं. 472 दिनांक 29.01.2019, एवं विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र विभाग, के पत्र सं. 663 दिनांक 30.01.2019 द्वारा प्राप्त विषय विशेषज्ञों के नामों की सूची में से नाम चयनित करने का अधिकार कुलपति को प्रदान की जाय।

प्रस्ताव 5. पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (अद्यतन संशोधित) की धारा 27 में निहित प्रावधानों के आलोक गठित होने वाले संकायों के निमित्त विभिन्न संकायों के अध्यक्षों द्वारा प्राप्त विषय विशेषज्ञों की सूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, के पत्रांक 02 दिनांक 30.01.2019, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय के पत्रांक 474 दिनांक 30.01.2019, संकायाध्यक्ष, समाजिक विज्ञान संकाय के पत्रांक 84 दिनांक 29.01.2019, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय के पत्रांक 25 दिनांक 30.01.2019 एवं संकायाध्यक्ष, मानविकी संकाय के पत्रांक शुन्य दिनांक 29.01.2019 द्वारा प्राप्त विषय विशेषज्ञों के नामों की सूची में से चार नाम चयनित करने का अधिकार कुलपति को प्रदान की जाय।

AS
29/1/19

प्रस्ताव 6. प्रधानाचार्य, पटना लॉ कॉलेज का पत्रांक 22 दिनांक 25.01.2019 डा. भीम राव अंबेदकर की प्रतिमा स्थापित करने के संबंध में निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाय।

प्रस्ताव 7. प्रधानाचार्य, वाणिज्य महाविद्यालय का पत्रांक 69 दिनांक 30.01.2019 Add on course के रूप में Certificate Course in GST, Certificate Course in Yoga, Certificate Course in Computerised Accounting आरंभ करने के संबंध में।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन पाठ्यक्रमों के Ordinance / Regulations के निमित्त विद्वत परिषद् द्वारा प्रतिकुलपति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जा चुकी है। समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

प्रस्ताव 8. प्रधानाचार्य, बी. एन. कॉलेज के पत्रांक 54 दिनांक 25.01.2019 एम.सी.ए. पाठ्यक्रम आरंभ करने के संबंध में निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बी. एन. कॉलेज में एम.सी.ए. पाठ्यक्रम आरंभ करने के प्रस्ताव राज्य सरकार तथा AICTE को भेजा जाय। प्रधानाचार्य, बी.एन. कॉलेज राज्य सरकार तथा AICTE को भेजे जाने वाला विस्तृत प्रस्ताव का प्रारूप यथाशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

प्रस्ताव 9. पटना विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत होने वाले सभी प्रकार के डिग्री का प्रारूप नालंदा खुला विश्वविद्यालय के अनुरूप A/4 size में तथा bilingual किए जाने के संबंध में डा. आर.के.मंडल, परीक्षा नियंत्रक, पटना विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत फारमेट के संबंध में। निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्ष 2019 से उत्तीर्ण होने छात्र/छात्राओं को नालंदा खुला विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत किए जा रहे प्रमाण-पत्रों के अनुरूप ही bilingual (हिन्दी तथा अंग्रेजी) भाषा में A/4 size में printed प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय। साथ ही इसमें उपाधि प्राप्तकर्ता का फोटो एवं हस्ताक्षर भी होने चाहिए। यह hologram / barcode से युक्त होगा।


प्रस्ताव 10. बैठक में डा. परिमल खान, विकास पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत Code of Professional Ethics के प्रारूप के अनुमोदन पर विचार। निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।


अभिय 19

प्रस्ताव 11. प्रतिकूलपति, पटना विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुशंसित तथा बैठक में डा. अशोक कुमार झा द्वारा प्रस्तुत Patna University Plagiarism Policy and Regulations -2018 के प्रारूप के अनुमोदन पर विचार। निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इसे संशोधन के साथ अनुमोदित किया जाय।

प्रस्ताव 12. . बैठक में डा. परिमल खान, विकास पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सत्र 2017-18 का Analysed Feedback Report(AFR) पर विचार निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।

प्रस्ताव 13. विभागाध्यक्ष, पी.एम.आई.आर. विभाग, पटना विश्वविद्यालय के पत्र सं. 01 दिनांक 30.01.2019 द्वारा प्रस्तुत Nandi Foundation & Mahendra Prode Class room तथा पी.एम.आई.आर. विभाग, पटना विश्वविद्यालय के बीच होने वाले Memorandum of Understanding (MOU) के प्रारूप पर विचार। निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इसे अनुमोदित किया जाय।


कुलसचिव
पटना विश्वविद्यालय, पटना


कुलपति
पटना विश्वविद्यालय, पटना
8.2.19